लोक सभा वाद विवाद का

हिन्दी संस्करण

खण्ड 13

अंक 1 — 10

18 फ़रवरी — 2 मार्च

1963

पी एल डी

लोक-सभा
वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड १३, १९६३ / १८८४ (शक)

१८ फरवरी से २ मार्च, १९६३ / २९ माघ से ११ फाल्गुन, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 8.12.83
Parliament Library

Chamber Fumigated 18.10.73

चौथा सत्र, १९६३/१८८४ (शक)

(खण्ड १३ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

तृतीय माला, खण्ड १३–अंक १ से १०—१८ फरवरी से २ मार्च, १९६३/२९ माघ से ११ फाल्गुन, १८८४ (शक)

अंक १—सोमवार, १८ फरवरी, १९६३/२९ माघ, १८८४ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय बाधा डालना तथा सदन से बाहर चले जाना — १–३

राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया — ४–९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति — १०

सभा पटल पर रखे गये पत्र — १०–११

बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना — १२

संविधान संशोधन विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना — १२–१३

दैनिक संक्षेपिका — १४–१६

अंक २—मंगलवार, १९ फरवरी, १९६३ / ३० माघ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ६, और ९ से १२ — १७–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७, ८, १३ से २७ और ३० — ४२–५१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५० — ५१–७२

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हुई घटना के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — ७२

जमुना कोयला खान में हुई दुर्घटना — ७२–७४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में — ७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र — ७४–७७

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ — ७७

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०–६१ — ७७

कार्य मंत्रणा समिति	७७
बारहवां प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति	७८
बाईसवां और तेईसवां प्रतिवेदन	
केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	७८
रेलवे आय-व्ययक, १९६३–६४—उपस्थापित	
श्री स्वर्ण सिंह	७८–१००
राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों द्वारा किये गये व्यवहार की जांच के लिये समिति	१००–०१
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक	१०१
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१०१–०४
खंड २ और १	१०४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१०४
कृषि पुर्नवित्त निगम विधेयक	१०५–११९
विचार करने का प्रस्ताव	
अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के बारे में प्रस्ताव	११९–२८
दैनिक संक्षेपिका	१२९–३६

अंक ३—बुधवार, २० फरवरी, १९६३/१ फाल्गुन, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१ से ४२	१३९–६२
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५५	१६२–७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५१ से ८६, ८८, ८९, ९१ और ९२	१७०–८६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	१८७
कारीगरी और स्वर्णकारों में कथित बेकारी	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१८७
प्राक्कलन समिति	१८७–८८
चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन	
सभापति तालिका	१८८
कार्य मंत्रणा समिति	१८८
बारहवां प्रतिवेदन	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	१८९–२३४
दैनिक संक्षेपिका	२३५–३८

अंक ४—शुक्रवार २१ फरवरी १९६३ / २ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . २३९—६४

तारांकित प्रश्न संख्या ५६ से ७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८२ . . . २६५—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४ से १०० और १०२ से १२४ . २७२—८५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २८५—८७

अमरीका तथा राष्ट्रमंडल के संयुक्त वायु सेना के शिष्टमंडल का भारत आगमन

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२-६३ . . . २८७

लोक लेखा समिति २८७

छठा प्रतिवेदन

सोना नियंत्रण सम्बन्धी भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियमों के बारे में याचिका . २८७

संघ राज्य क्षेत्रों का शासन विधेयक—पुरस्थापित . . . २८७

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . २८८—३१५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३१६—१९

अंक ५—शुक्रवार २२ फरवरी, १९६३ / ३ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९४, ९६ से ९९ और १०१ से १०४ . ३२१—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ और १०० . . . ३५२—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५ से १२९, १३१, १३३ से १४८ और १५० . ३५३—६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३६४—६५

प्रस्तावित मलयेशिया संघ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६५—६७

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा पटल पर रखी गई ३६८

प्राक्कलन समिति

बारहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन ३६८

सभा का कार्य ३६८

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ३६९—८६

विधेयक पुरस्थापित — . . . . ३८६—८७

(१) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा १३ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का]

(२) नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक, (धारा २ का संशोधन) [श्री च० का० भट्टाचार्य का]

(३) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध (संशोधन) विधेयक (नई धारा ७क का रखा जाना) [श्री च० का० भट्टाचार्या का]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, (धारा ४ और ६ का संशोधन) . ३८७—९८
[श्री श्याम लाल सर्राफ का]

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव

सिनेमा फिल्मों की (अधिकतम) लम्बाई विधेयक [श्री रामेश्वर टांटिया का] ३९८—४०८

विचार करने का प्रस्ताव

बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३ का संशोधन) . ४०८
[श्री दी० चं० शर्मा का]

परिचालित करने का प्रस्ताव ४०८

कार्य मंत्रणा समिति ४०८

तेरहवां प्रतिवेदन

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४०९—१४

अंक ६—सोमवार २५ फरवरी १९६३ / ६ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०५ से ११४ . . . ४१५—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११५ से १३२ . . . ४४०—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५१ से १७६ और १७८ से १९५ . ४५३—७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ४७१—७२

(१) मिलिटरी लाइन्स, सागर में पानी की एक टंकी का फट जाना

(२) बर्मा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और वहां के भारतीय बैंकों पर उसके प्रभाव

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७२

कार्य मंत्रणा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन ४७३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ४७३—५३१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५३२—३६

अंक ७—बुधवार २७ फरवरी १९६४ / ८ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १३४, १४८ और १३५ से १४३ . ५३७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४४ से १४७ और १४९ से १५२ . ५६२—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १९६ से २३३ . . . ५६५—८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ५८०—८४

(१) १८ फरवरी को गंगा नदी के पानी के भारतीय भाग में पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र पुलिस का कथित अनधिकृत प्रवेश

(२) बर्मा में बैंकों के राष्ट्रीय करण के बारे में वक्तव्य

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ५८४—८५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन ५८५

निर्यात के लिये भेजे जाने वाले सामान पर भाड़े की रायायत के बारे में वक्तव्य . ५८६

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ५८७—६३४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६३५—३९

अंक ८—गुरुवार २८ फरवरी १९६३ / ९ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५३ से १६६ . . . ६४१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ६६७—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६७ से १७० और १७२ . . ६६९—७१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३४ से २३९ और २४१ से २६० . ६७१—८३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६८३—८४

समुद्रीय बीमा विधेयक ६८५

संयुक्त समिकिता प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति ६८५

तेरहवां और बीसवां प्रतिवेदन

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ . . ६८६—९८

कृषि पुदर्वित निगम विधेयक . . . ६९८—७२४

विचार करने का प्रस्ताव

खंड २ से ४७ और १

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

सामान्य आय-व्ययक, १९६३–६४—उपस्थापित . ७२४—४७

विधेयक पुरस्थापित . . . . . ७४८—४९

(१) वित्त विधेयक, १९६३

(२) अधिलाभ कर विधेयक, १९६३

(३) अनिवार्या जमा योजना विधेयक, १९६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ७५०—५४

शुक्रवार, १ मार्च, १९६३/१० फाल्गुन, १८८४ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

डा० राजेन्द्र प्रसाद का निधन . . . ७५५—५९

दैनिक संक्षेपिका ७६०

अंक १०—शनिवार २ मार्च १९६३ / ११ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से २०६ और २०९ . . ७६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७३ से १९३, २०७, २०८ और २१० से २२२ ७८७—८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६२, २६४, २६६, २६७, २६९ से ३७० और ३७२ से ३९० . ८०२—५९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मनीपुर के रास्ते भारत में नागा विद्रोहियों का कथित प्रवेश . . ८५९—६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८६१—६३

राष्ट्रपति का संदेश ८६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण की जांच करने वाली समिति ८६४

प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . . ८६४

राज्य सभा से संदेश ८६४

सभा का कार्य ८६४–६५

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६३—पुरस्थापित . . ८६५–६६

रेलवे आय-व्ययक–सामान्य चर्चा . . ८६६—८६

दैनिक संक्षेपिका .

नोटः—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—2961 (Ai) LSD—11-5-63—160.

लोक-सभा

सदस्यों की वनुर्णाक्रम सूची

अ

अंकिनीडू, श्री मांगटि (गुडिवाडा)

अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)

अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरि)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)

अणें, डा० मा० श्री (नागपुर)

अब्दुर्रशीद बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल गनी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल वहीद, श्री (वेल्लोर)

अरुणाचलम्, श्री (रामनाथपुरम)

अलगेशन, श्री (चिंगलपट)

आ

आज़ाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)

आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फिरोजपुर)

इम्बीचिबावा, श्री इज़ूकुढेक्कल (पोन्नाणि)

इलयापेरूमाल, श्री (तिरुकोइलूर)

इलयास, श्री मु० (हावड़ा)

इस्माइल, श्री मु० (मंजेरी)

उ

उइके, श्री मं० गं० (मंडला)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)

उमानाथ, श्री (पुट्टुकोट्टई)

उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापुट)

2687 (Ai) LSD—1.

ऊ

ऊटिया, श्री बुद्धसिंह (शहडोल)

ए

एंथनी, श्री फ्रेंक (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
एरिंग, श्री डा० (नामनिर्देशित—उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्र नगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)
कच्छवैया, श्री हुकुमचंद (देवास)
कजरोलकर, श्री सादोवानारायण (बम्बई मध्य)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कड़ाड़ी, श्री मांदेप्पा बंदप्पा (शोलापुर)
कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)
कन्डप्पन, श्री (तिरुचेंगोड)
कपूर सिंह, श्री (लुधियाना)
कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)
कपाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)
करुयिरमण, श्री (गोबीचट्टिपलयम)
कर्णीसिंह जी, हिज हाइनेस महाराजा श्री, बीकानेर के (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कामले, श्री तु० द० (लाटूर)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कार, श्री देवेन्द्रनाथ (कूचबिहार)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किशनवीर, श्री (सतारा)
किशिंग, श्री रिशांग (मनीपुर)
कुन्हन्, श्री प० (पालघार)
कुमारन्, श्री मे० क० (चिरयिन्कील)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)

क—क्रमशः

कृपा शंकर, श्री (डुमरियागंज)

कृष्ण, श्री मं० र० (पेद्दपल्लि)

कृष्णपालसिंह, श्री (जलसेर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)

कदरिया, श्री छ० मं० (मांडवी)

केप्पन, श्री चेरियन (मुवात्तुपुजा)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)

केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)

कोया, श्री (कोजीकोड)

कोलाको, डा० (गोग्रा, दमन ग्रौर दीव)

कोहोर, डा० (फ़लबनी)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)

खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)

खां, श्री उस्मान ग्रली (ग्रनन्तपुर)

खां, डा० पूर्णेन्द्रनारायण (उलुबेरिया)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खाडिलकर, श्री र० के० (खेड)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)

गजराज सिंह, श्री (गुड़गांव)

गणपति राम, श्री (मछलीशहर)

ग्यासुद्दीन ग्रहमद, श्री (धुबरी)

गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)

गांधी, श्री व० ब० (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण)

गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंहराव (बड़ौदा)

गायतोंडे, डा० (गोग्रा, दमन ग्रौर दीव)

गायत्रीदेवी, श्रीमती (जयपुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री काशीराम (ग्रलवर)

गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)

ग—क्रमशः

गुप्त, श्री बादशाह (मैनपुरी)
गुप्त, श्री रामरतन (गोंडा)
गुप्त, श्री शिवचरण (दिल्ली सदर)
गुलशन, श्री धन्नासिंह (भटिंडा)
गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)
गोकर्ण प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोंडर, श्री मुत्तु (तिरपतूर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुडी)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची—पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (मयूरम)
चन्द्रिका, श्री जगन्नाथराव (रायचूर)
चांडक, श्री भी० ल० (छिंदवाड़ा)
चावदा, श्रीमती जोहराबेन (बनस्कंठा)
चावन, श्री दा० रा० (करोड़)
चुन्नीलाल, श्री (अम्बाला)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (करूर)
चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)
चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (महुआ)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा)

चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़)
चौधरी, श्री सचिन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (ससराम)
जगदेव सिंह, श्री (झज्जर)
जमीर, चुबातोशी (नामनिर्देशित—नागा पहाड़ी—त्वेनसांग क्षेत्र)
जमुना देवी, श्रीमती (झबुग्रा)
जयपाल सिंह श्री (रांची—पश्चिम)
जयरामन, श्री (वांडीवाश)
जाधव, श्री तुलसीदास (नांदेड़)
जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)
जेधे, श्री गुलाबराव केशवराव (बारामती)
जैन, श्री अजित प्रशाद (तुमकुर)
जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)
ज्योति स्वरूप, श्री (हाथरस)
ज्योतिशी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री योगेन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

ढ

ढेबर, श्री उ० न० (राजकोट)

त

तनसिंह, श्री (बाड़मेर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तुलाराम, श्री (सोनबरसा)

त—क्रमशः

तुला राम, श्री (घाटमपुर)
तिम्मया, श्री डोडा (कोलार)
तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)
तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामसहाय (खजुराहो)
तेवर, श्री उ० मुथुरमालिंग (अरुप्पुकोट्टई)
तेवर, श्री बरोना (तंजौर)
त्यागी, श्री महावीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)
त्रिवेदी, श्री उ० म० (मंदसौर)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम्)
थेनगोंडर, श्री (नागपटिटनम्)

द

दपाले, श्री (मिरज)
दलजीत, श्री (उना)
दशरथदेव, श्री (त्रिपुरा—पूर्व)
दाजी, श्री होमी (इन्दौर)
दास, श्री (तिरुपति)
दास, श्री नयन तारा (जमुई)
दास श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, डा०-मनमोहन (औंग्रासम)
दास, श्री सुधांशु (डायमन्ड हार्बर)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)
दिनेश सिंह, श्री (सालोन)
दीक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर—उत्तर)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

बेव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)
बेवभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)
बेशपांडे, श्री गोविन्दहरि (नासिक)
बेशमुख, डा० पंजाबराव शा० (ग्रमरावती)
बेशमुख, श्री भा० दा० (ग्रौरंगाबाद)
बेशमुख, श्री शिवाजीराव शंकरराव (परभणी)
बेसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)
धवन, श्री (लखनऊ)
धूलेश्वर, मीना, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सनरकंठा)
नम्बियार, श्री ग्रानन्द (तिरुचिरापल्लि)
नल्लाकोया, श्री (नामनिर्देशित—लेकद्वीप, मिनिकाय ग्रौर ग्रमीन द्वीपसमूह)
नाथपाई, श्री (राजापुर)
नायक, श्री दे० जी० (पंचमहल)
नायक, श्री महेश्वर (मयूरगंज)
नायक, श्री मोहन (भंजनगर)
नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन (ग्रम्बलपुजा)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)
निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)
निरंजन लाल, श्री (नामनिर्देशित—ग्रन्दमान ग्रौर निकोबार द्वीपसमह)
नेसामनी, श्री (नागरकोइल)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

प

पन्त, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)
पटनायक, श्री किसन (सम्बलपुर)
पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)
पतल, श्री छोटाभाई (भड़ोंच)
पटेल, श्री नानुभाई नि० (बलसार)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (पाटन)
पटेल, श्री मान सिंह पृ० (महसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)
पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)
परमशिवन, श्री स० क० (इरोड)
पराखी, श्री भोलाराम (बालाघाट)
पाटिल, श्री जू० शं० (जलगांव)
पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री देवराम शिवराम (यवतयाल)
पाटिल, श्री मा० भ० (रामटेक)
पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)
पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)
पाटिल, श्री स० ब० (बीजापुर—दक्षिण)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई—दक्षिण)
पांडे, श्री काशीनाथ (छाता)
पाण्डेय, श्री रा० शि० (गुना)
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
पाण्डेय, श्री सरजू (रसड़ा)
पाराशर, श्री (शिवपुरी)
पालीवाल, श्री टीकाराम (हिंडौन)
पुरी, श्री दे० द० (कैथल)
पिल्ले, श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम)
पथ्वीराज, श्री (दोसा)
पोट्टेकाट्ट, श्री (टेलीचेरी)
प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली—करौलबाग़)

करोडिया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

ब

बजाज, श्री कमल नयन (वर्धा)

बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)

बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)

बड़े, श्री रामचन्द्र (खरगोन)

बदरुदु जा, श्री (मुर्शिदाबाद)

बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)

बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)

बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बसन्त कुमारी, श्रीमती (कैसरगंज)

बसवन्त, श्री सोनुभाऊ दागड़ू (थाना)

बसुमतारी, श्री ध० (ग्वालपाड़ा)

बाकलीवाल, श्री (दुर्ग)

बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारिया, श्री हीराभाई कुबेराभाई (दोहद)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)

बाल कृष्ण सिंह, श्री (चन्दौली)

बालकृष्णन्, श्री (कोहलपट्टी)

बाल्मीकि, श्री क० ला० (खुर्जा)

बासप्पा, श्री (तिपतुर)

बिष्ट, श्री ज० ब० सिं० (अलमोड़ा)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा—पश्चिम)

बूटा सिंह, श्री (मोगा)

बृजवासी लाल, श्री (फैज़ाबाद)

ब्रजराज सिंह, महाराज कुमार (झालावाड़)

ब्रजराज सिंह, श्री (बरेली)

बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)

बेरवा, कोटा, श्री (कोटा)

ब—क्रमश:

बेरो, श्री (नाम निर्देशित, आंग्ल-भारतीय)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्मप्रकाश, चौधरी (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)
भगवती, श्री वि० चं० (दयांग)
भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी, (खाम गांव)
भट्टाचार्य, श्री च० का० (रायगंज)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)
भवानी, श्री लखमू (बस्तर)
भानुप्रकाश सिंह, श्री (राजगढ़)
भार्गव, पंडित म० बि० ला० (अजमेर)

म

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मंडल, डा० (विष्णुपुर)
मंडल, श्री भूपेन्द्र नारायण (सहरहसा)
मंडल, श्री य० प्र० (जयनगर)
मन्त्री, श्री द्वारकादास (भीर)
मच्छराज, श्री प० (नरसीपटनम)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री (कोट्टयम)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मनोहरन, श्री (मद्रास—दक्षिण)
मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)
मधवया, श्री (मेलुर)
मसाहीछामी, श्री (परियाकुलम)
मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)

म—क्रमशः

मल्लय्या, श्री उ० श्री० (उदीपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू तथा काश्मीर)
मसूरिया, श्री दीन (चैन)
महताब, श्री हरेकृष्ण (अंगुल)
महतो, श्री भजहरि (पुरुलिया)
महन्ती, श्री गोकुलचन्द (बालासोर)
महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)
महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलंनगीर)
महीड़ा, श्री नरेन्द्रसिंह (अनन्द)
माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)
मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)
मिनीमाता, श्रीमती आगमदास गुरु (बवोरा बाजार)
मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)
मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)
मिश्र, बिबुधेन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)
मिश्र, श्री महेशदत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मुचनी, श्री डेविड (लोहुदगा)
मुरुको, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुकर्जी, श्री ह्री० ना० (कलकत्ता)
मुकाने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवाण्डि)
मुज्जफ्फर हुसेन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री सरकर (बुलूरघार)
मुरली मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री (झुंझनूं)
मुसाफिर, श्री गुरुमुखसिंह (अमृतसर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

म—क्रमशः

मूर्ति, श्री ब० सू० (अमालपुरम्)

मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्ली)

मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई—उत्तर)

मेनन, श्री प० गो० (मुकुन्दपुरम)

मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)

मेहता, श्री ज० रा० (पाली)

मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)

मेंहदी, श्री सै० अ० (रामपुर)

मेहरोत्रा, श्री ब० वि० (बिल्हौर)

मेंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)

मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)

मोरे, डा० कृ० ल० (हतंकगले)

मोरे, श्री शं० शां० (पूना)

मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)

मोहसिन, श्री (धारवाड़—दक्षिण)

मोर्य, श्री बी० पी० (अलीगढ़)

य

यशपालसिंह, श्री (कराना)

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)

यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)

यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)

यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

यादव, श्री रामहरख (आजमगढ़)

यसुफ, श्री मुहम्मद (सीवन)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)

रंगा राव, श्री र० वे० गो० कृ० (चीपुरुपल्लि)

रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)

रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)

रघुरामैया, श्री को० (गुंटूर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रतनलाल, श्री (बंसवारा)

र—क्रमश:

राउत्त, श्री भोला (बेतिया)
राघवन, श्री ग्र० ब० (बडागरा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजा, चित्तरंजन (जूनागढ़)
राजाराम, श्री (कृष्णगिरि)
राजू, श्री द० बलराम (नरमापुर)
राजू, श्री द० स० (राजामंडि)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)
राणे, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)
रामयनी दास, श्री (नवादा)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामभद्रन, श्री (कडलूर)
राम सिंह, (श्री बहराइच)
राम शेखर प्रसाद सिंह,, श्री (छपरा)
राम सुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)
रामसेवक, श्री (जालोन)
रामस्वरूप, श्री (राबर्ट्सगंज)
रामस्वामी, श्री ब० क० (नामक्कल)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सलम)
रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)
राय, श्रीमती रेणुका (माल्दा)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)
राय, डा० सारादीश (कढ़वा)
राय, श्री इ० मधुदन (महबूबाबाद)
राय, श्री क० ल० (विजयावाढ़ा)
राय, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)
राय, श्री जगन्नाथ (नोरंगपुर)
राय, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राय, श्री मुत्याल (महबूबनगर)
राय, श्री रमापति (करीमनगर)
राय, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)

र—क्रमश·

राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

राव, श्री चूड़ामन आनन्द (पुलिया)

रेड्डियार, श्री वेंकटसुब्बा (तिन्डीवरम्)

रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़पा)

रेड्डी, श्री क० च० (चिकबलापुर)

रेड्डी, श्री नरसिम्हा (राजमपेट)

रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)

रेड्डी, डा० ब० गोपाल (कावलि)

रेड्डी, श्री यलमंदा (मारकापुर)

रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)

रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दपुर)

ल

लक्ष्मीकांतमा, श्रीमती (खम्मम)

लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)

लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)

लहरी सिंह, श्री (रोहतक)

माखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)

लास्कर, श्री नीहार रंजन (करीमगंज)

लीमर, श्री रा० ना० (जालना)

व

वर्मा, श्री कुं० कृ० (सुल्तानपुर)

वर्मा, श्री बा० (तेरी)

वर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)

वर्मा, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)

वर्मा, श्री सूरजलाल (सीतापुर)

वाडीया, श्री (स्योनी)

वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचूर)

वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेद (नानदरबार)

विस्निकवा, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)

विजयनन्द महाराज कुमार, (विशाखापटनम)

व—क्रमशः

विजयराजे, कुंवरानी (छतरा)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (होशियारपुर)

विमला देवी, श्रीमती (एलरू)

विश्राम प्रसाद, श्री (लालगांव)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)

वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्द गांव)

वेंकटा सुबैया, श्री पेंदे कांति (अडोनी)

वेंकैया, श्री कोल्ला (तेनलि)

वैश्य, श्री मूलचन्द भूदरदास (साबरमती)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरप्पा, श्री (मैसूर)

शकुन्तलादेवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)

शर्मा, श्री अ० प्र० (बक्सर)

शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)

शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरूदासपुर)

शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)

शशिरंजन, श्री (पपरी)

श्याम नाथ, श्री (दिल्ली—चांदनी चौक)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)

शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसंचीघाट)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शाह, श्रीमती जयाबैन (अमरेली)

शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शिव, श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)

शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)

शिव नारायण, श्री (बांसी)

शिवशंकरण, श्री (पेरुमबुदुर)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (श्री महासमून्द)

श—क्रमशः

श्यामशाह, श्री (चांदा)

श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

श्री सिंहासन, श्री (मद्रास— उत्तर)

श्रीमाली, डा० का० ला० (भिलवाड़ा)

स

संजी, सूपजी श्री (नामनिर्देशित—दादरा नगर हवेली)

सत्यनारायण, श्री सिद्दिका (पार्वतीपुरम)

सत्य भामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)

सत्य प्रकाश, श्री (बिलासपुर)

समनामी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

सरोजनी, श्रीमती विन्दुराय (धारावाड़— उत्तर)

सर्राफ, श्री श्यामलाल (जम्मू तथा काश्मीर)

सहगल, श्री अ० सिं० (जंजगीर)

साधुराम, श्री (फिल्लोर—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री स० चं० (तामलुक)

साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)

साहू, डा० रामेश्वर (रीसरा)

सिंघवी, डा० ल० म० (जोधपुर)

सिंधया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)

सिंह, श्री कृ० का० (महाराजगंज)

सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)

सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)

सिंह, श्री दिग्बिजय नारायण (मुजफ्फरपुर)

सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)

सिंह, श्र बनायसी प्रसाद (मुंगेर)

सिंह, श्री युवराजदत्त (शाहाबाद)

सिंह, श्री यो० ना०, (सुन्दरगढ़)

सिंह, श्री स० टो० (आन्तरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

स—क्रमशः

सिद्धय्या, श्री (चमराजनगर)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालंदा)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर—अनुसूचित जातियां)

सुब्बारामन्, श्री (मदुरै)

सुब्रह्मण्यम्, श्री चि० (पोल्लाची)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)

सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)

सोमियान, श्री ईरा (पैरम्बलूर)

सेठ, श्री बिशनचन्द्र (एटा)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)

सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)

सेन, डा० रानेन (कलकत्ता—पूर्व)

सोनावने, श्री (पंढ़रपुर)

सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह (कैरा)

सोवरम, श्रीमती रामचन्द्रन (डिड़ियल)

सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)

स्वर्ण सिंह, श्री (जलन्धर)

स्वामी, श्री मंडलावेंकट (मसुलीपटनम)

स्वामी, श्री म० न० (ओंगोल)

स्वामी, श्री म० प० (टंकासी)

स्वामी, श्री शिवमूर्त्ति (कोप्पल)

सवैस, श्री ज० गि० (आसाम—स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)

हक, श्री म० म० (अकोला)

हजरनवीस, श्री रं० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)

ह——क्रमशः

हनुमन्तैया, श्री (बंगलौर नगर)

हरवानी, श्री अन्सार (बिसौली)

हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोड्डा)

हिम्मतसिंह जी, श्री (कच्छ)

हुकुमसिंह, सरदार (पटियाला)

हेडा, श्री (निजामाबाद)

लोक-सभा

अध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्त्ति राव

सभापति तालिका

१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
२. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

१. सरदार हुकम सिंह--सभापति
२. श्री कृष्णमूर्त्ति राव
३. श्री फ्रैंक एन्थनी
४. श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े
५. श्री श्रीनारायण दास
६. श्री हरि विष्णु कामत
७. सरदार कपूर सिंह
८. श्री करुथिरमण
९. श्री आनन्द नम्बियार
१०. श्री पुरुषोत्तम दास र० पटेल
११. श्री शिवराम रंगों राने
१२. श्री जगन्नाथ राव
१३. श्रीमती यशोदा रेड्डी
१४. श्री सत्यनारायण सिंह
१५. श्री सिंहासन सिंह

विशेषाधिकार समिति

१. श्री कृष्णमूर्ति राव—सभापति
२. श्री हेम बरुआ
३. श्री बृज राज सिंह
४. श्री सचीन्द्र चौधरी
५. श्री यो० ना० दीक्षित
६. पंडित ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी
७. सरदार कपूर सिंह
८. श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई
९. श्री हरिश्चन्द्र माथुर
१०. श्री ही० ना० मुकर्जी
११. श्री महेश्वर नायक
१२. श्री शिवराम रंगो राने
१३. श्री अशोक कु० सेन
१४. श्री सत्यनारायण सिंह
१५. श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

१. ~~श्री मूल चन्द दुबे~~—सभापति
२. श्री बटेश्वर सिंह
३. श्री ओंकार लाल बेरवा
४. श्री तुलसीदास जाधव
५. श्री योगेन्द्र झा
६. श्रीमती सुभद्रा जोशी
७. श्री मे० क० कुमारन
८. श्री नीहार रंजन लास्कर
९. श्री यमुना प्रसाद मण्डल
१०. श्री जसवन्तराज मेहता
११. श्री मानसिंह पू० पटेल
११. श्री रामभद्रन्
१३. श्री मुत्याल राव
१४. श्री शिवनंजप्पा
१५. श्री अब्दुल वहीद

प्राक्कलन समिति (१९६२-६३)

१. श्री दासप्पा—सभापति
२. श्री जोकीम आल्वा
३. श्री व० बसुमतारी
४. श्री ब्रजराज सिंह
५. श्री श्रीनारायण दास
६. हिजहाइनेस महाराजा प्रताप केसरी देव
७. श्री गोविन्द हरि देशपाण्डे
८. श्री अरुण चन्द्र गुह
९. श्री सुबोध हंसदा
१०. श्री अन्सार हरवानी
११. श्री कान्हू चरण जेना
१२. श्री आनन्द चन्द्र जोशी
१३. ले० क० हिजहाइनैस महाराजा मानवेन्द्र शाह आफ टिहरी गढ़वाल
१४. श्री जसवन्त मेहता
१५. श्री नी० श्रीकान्तन् नायर
१६. श्री आनन्द नम्बियार
१७. श्री नेसामनी
१८. श्री टीकाराम पालीवाल
१९. श्री पन्नालाल
२०. श्री नवल प्रभाकर.
२१. श्री राजाराम
२२. डा० को० लो० राव
२३. श्री रामेश्वर साहू
२४. श्रीमती जयाबैन शाह
२५. श्री दीवान चन्द शर्मा
२६. श्री विद्याचरण शुक्ल
२७. श्री टैकुर सुब्रह्मण्यम
२८. श्री जो० गि० स्वेल
२९. श्री कृ० क० वारियर
३०. श्री बालकृष्ण वासनिक

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

१. श्री मुरारका—सभापति

२. श्री बालकृष्णन्
३. श्री च० का० भट्टाचार्य
४. सरदार बूटा सिंह
५. श्री लक्ष्मी नारायण भंजदेव
६. श्री शिवचरण गुप्त
७. श्री लहरी सिंह
८. श्री छोटूभाई पटेल
९. श्री पी० एस० नटराज पिल्ले
१०. श्री यलमन्दा रेड्डी
११. श्री साधूराम
१२. श्री सिद्धनंजप्पा
१३. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी
१४. श्रीमती राजदुलारी सिन्हा
१५. श्री सुमत प्रसाद

याचिका समिति

१. श्री तिरुमल राव—सभापति
२. श्री अरुणाचलम
३. श्रीमती जोहराबैन चावदा
४. श्री जगराज सिंह राव
५. श्रीमती गायत्री देवी
६. श्री जो० ना० हजारिका
७. श्री नारायण सदोबा कजरोलकर
८. श्री यमुना प्रसाद मण्डल
९. श्री मसुरिया दीन
१०. श्री वासुदेवन नायर
११. श्री स० व० पाटिल
१२. श्री सत्य प्रकाश
१३. श्री रामेश्वरानन्द
१४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री
१५. श्री राम सहाय तिवारी

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

१. श्री कृष्णमूर्त्ति राव——सभापति
२. श्री स० मो० बनर्जी
३. श्री प्रिय गुप्त
४. श्री अन्सार हरवानी
५. श्री हेम राज
६. श्री माधवराव लक्ष्मणराव यादव
७. श्रीमती जमुना देवी
८. श्री परेशनाथ कयाल
९. श्री मुथिया
१०. श्री काशी नाथ पांडे
११. श्री सिद्धय्या
१२. श्री कृ० का० सिंह
१३. श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह सोलंकी
१४. श्री उमानाथ
१५. श्री राम सेवक यादव

लोक-लेखा समिति (१९६२-६३)

लोक–सभा

१. श्री महावीर त्यागी——सभापति
२. श्री बालकृष्णन्
३. श्री भक्त दर्शन
४. श्री गजराज सिंह राव
५. श्री हेम राज
६. श्री जयपाल सिंह
७. सरदार कपूर सिंह
८. श्री र० के० खाडिलकर
९. श्रीमती मैमना सुल्तान
१०. डा० मण्डल
११. डा० मेलकोटे
१२. श्री मथुरा प्रसाद मिश्र
१३. श्री मोहन स्वरूप
१४. श्री रविनारायण रेड्डी

१५. श्री प्रकाश वीर शास्त्री

राज्य सभा

१६. श्रीमती क० भारती

१७. श्री नवाब सिंह चौहान

१८. श्री दयाभाई व० पटेल

१९. श्री सोनूसिंह धनसिंह पाटिल

२०. श्री लालजी पेन्डसे

२१. श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

२२. श्री जयनारायण व्यास

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

१. श्री कृष्णमूर्त्ति राव—सभापति

२. श्री भागवत झा आजाद

३. श्री राजेन्द्रनाथ बरुआ

४. श्री सचीन्द्र चौधरी

५. श्री होमी दाजी

६. श्री गौरीशंकर

७. श्री म० म० हक़

८. श्री हरिश्चन्द्र हेडा

९. श्री मुरारका

१०. श्री नरसिन्हा रेड्डी

११. श्री सिद्धनंजप्पा

१२. श्री म० प० स्वामी

१३. श्री उ० मू० त्रिवेदी

१४. श्री महावीर त्यागी

१५. श्री वाडीवा

आवास समिति

१. श्री कृष्णमर्त्ति राव—सभापति

२. श्री भक्त दर्शन

३. श्री युद्धवीर सिंह चौधरी

४. श्री सुबोध हंसदा

५. श्री बाकर अली मिर्जा

६. श्री मोहन स्वरूप
७. श्री वासुदेवन् नायर
८. श्री राजेश्वर पटेल
९. श्री व० क० रामस्वामी
१०. श्रीमती रेणुका राय
११. श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह सोलंकी
१२. श्री रामेश्वर टांटिया

लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

१. श्री गो० ना० दीक्षित—सभापति
२. श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ
३. श्री म० ला० द्विवेदी
४. श्री न० रं० घोष
५. श्री प्र० कु० घोष
६. श्री म० अ० हक
७. श्री हरिश्चन्द्र हेडा
८. श्री परेशनाथ कयाल
९. श्री जसवन्तराज मेहता
१०. श्री युवराज दत्त सिंह

राज्य सभा

११. श्री ज० राजगोपालन
१२. श्री बृज किशोर प्रसाद सिंह
१३. श्री हीरा बल्लभ त्रिपाठी
१४. श्री क० र० रघुनाथ रेड्डी
१५. श्री लोक नाथ मिश्र

संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

१. श्री सत्य नारायण सिंह—सभापति
२. श्री च० का० भट्टाचार्य
३. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
४. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा

५. श्री आनन्द नम्बियार
६. श्री दे० द० पुरी
७. श्री मुत्याल राव
८. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
९. श्री सिंहासन सिंह
१०. श्री पं० चं० उइके

राज्य सभा

११. श्री एस० एम० घोष
१२. श्री अकबर अली खां
१३. श्री ए० डी० मणि
१४. श्रीमती उमा नेहरू
१५. श्री एम० गोविन्द रेड्डी

नियम समिति

१. सरदार हुकम सिंह—सभापति
२. श्री कृष्णमूर्त्ति राव
३. श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े
४. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
५. श्री गोविन्द हरि देशपांडे
६. श्री हनुमन्तैया
७. श्री कर्णी सिंहजी
८. श्री हरेकृष्ण मेहताब
९. श्री नाथपाई
१०. डा० राजेन्द्र कोहर
११. श्रीमती सरोजनी महिषी
१२. श्री सत्य नारायण सिंह
१३. श्री अमरनाथ विद्यालंकार
१४. श्री राधेलाल व्यास

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

परिवहन तथा संचार मंत्री—श्री जगजीवन राम

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्द

आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारि

गृह-कार्य मंत्री —श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री स्वर्ण सिंह

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री यशवन्तराव चव्हाण

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री स० का० पाटिल

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सेन

खान और ईंधन मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

सूचना और प्रसारण मंत्री—श्री बे० गोपाला रेड्डी .

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री—श्री चि० सुब्रह्मण्यम

शिक्षा मंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायूं कबिर

संसद्-कार्य मंत्री —श्री सत्य नारायण सिंह

राज्य-मंत्री

निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री—श्री मनुभाई शाह

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री—श्री राज बहादुर

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सु० कु० डे

स्वास्थ्य मंत्री—डा० सुशीला नायर

आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री—श्री जयसुख लाल हाथी

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री—श्री रघुरामैया

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री अलगेसन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० राम सुभग सिंह

उपमन्त्री

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—डा० म० मो० दास

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

खान तथा ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रा० मा० हजरनवीस

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री—श्री पू० शे० नास्कर

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दा० रा० चावन

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री—श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्रीमती चन्द्रशेखर

अर्थ तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाम नाथ

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री—डा० द० स० राज

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दिनेश सिंह

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्री बिभुधेन्द्र मिश्र

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री भगवती

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री श्यामधर मिश्र

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री—श्री प्रकाश चन्द्र सेठी

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री र० कि० मालवीय

सभा-सचिव

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव—श्री अन्नासाहिब शिन्दे

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव—श्री डा० एरिंग

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री स० चु० जमीर

सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव—श्री सै० अ० मेहदी

खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव—श्री डोड्डा तिम्मया

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव—श्री मं० रं० कृष्ण

लोक-सभा वाद-विवाद

खण्ड १३] तीसरी लोक-सभा के चौथे सत्र का पहला दिन [अंक १

लोक-सभा

सोमवार १८ फरवरी १९६३

२९ माघ १८८४ (शक)

लोक-सभा सवा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को दो सदस्यों की दु:खद मृत्यु की सूचना देनी है। उनके नाम मूलचन्द दुबे और श्री दातार हैं।

श्री दुबे, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम लोक-सभा से ही लोक-सभा के सदस्य चुने जाते रहे। वह १९६० से सभापति तालिका के भी सदस्य थे। २६ जनवरी, १९६३ को लखनऊ में उनका देहांत हो गया। उनकी आयु ७८ वर्ष की थी।

श्री दातार का देहांत १३ फरवरी १९६३ को नई दिल्ली में हुआ। आपकी आयु ६८ वर्ष की थी। श्री दातार प्रथम लोक सभा से ही बेलगांव निर्वाचन क्षेत्र से लोक-सभा के सदस्य चुने जाते रहे। आप १९५२ में केन्द्रीय सरकार के उपमंत्री तथा १९५५ में गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त हुए थे। इस पद पर वे मृत्यु के समय तक कार्य करते रहे।

हमें उक्त दोनों सदस्यों की मृत्यु पर हार्दिक दुख है। मैं सभा की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को समवेदना प्रेषित करता हूं।

इसके पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर तक मौन खड़े रहें

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय बाधा डालना तथा सदन से बाहर चले जाना

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची—पश्चिम): मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हुई अवांछनीय घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विचार से इससे लोक-सभा की प्रतिष्ठा और अनुशासन पर आघात हुआ है। अतः मेरा अनुरोध है कि आप इस सम्बन्ध में अपना निर्णय देवें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एन्थोनी** (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : इस संबंध में मेरा विनम्र सुझाव यह है कि इस पर निर्णय करने के हेतु एक समिति नियुक्त की जाये क्योंकि मेरे विचार से इस प्रकार का व्यवहार एक सदस्य के लिये अशोभनीय है ।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, आज जो घटना हुई है, मैं समझता हूं कि उस से बुरी घटना नहीं हो सकती । मैं हिन्दी का एक छोटा सा सेवक हूं, लेकिन मेरा यह मत है कि इस प्रकार की बातों से हिन्दी को जितना नुकसान पहुंचेगा, उतना अन्य किसी बात से नहीं पहुंच सकता । इसी प्रकार की एक घटना उत्तर प्रदेश में हुई और इसी प्रकार की एक घटना बिहार में हुई । मैं आप से कहना चाहता हूं कि यदि हम को हिन्दी की सेवा करनी है, तो हिन्दी की सेवा का यह तरीका नहीं है । हम यह आशा नहीं कर सकते कि हमारे सब राष्ट्रपति और सब राज्यपाल हिन्दी जानते हों और अगर हम में इतनी सहिष्णुता नहीं है, तो हमारा काम चलने वाला नहीं है । बल्कि मैं तो आज अपने उपराष्ट्रपति, डा० ज़ाकिर हुसैन साहब, को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे राष्ट्रपति के भाषण का इतना सुन्दर अनुवाद पढ़ा और संस्कृत तक उन्होंने बोली । मैं चाहता हूं कि इस विषय पर गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जाये । यह केवल हमारे राष्ट्रपति का ही अपमान नहीं है, यह हमारे सारे राष्ट्र और हमारे दोनों सदनों का अपमान है । हम को सहिष्णुता सीखनी चाहिए, यदि हम हिन्दी की सेवा करना चाहते हैं ।

श्री त्यागी (देहरादून) : जहां तक मैं समझता हूं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लागू नहीं होते हैं अतः या तो इन नियमों को ही संयुक्त बैठक में लागू किया जाये अथवा राज्य सभा के परामर्श से संयुक्त सभा के लिये निश्चित नियम बनाये जायें ।

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर नगर) : मेरे विचार से आज कल कुछ विरोधी सदस्यों ने सभा के कार्य में बाधा पहुंचाने का रवैया अख्तयार कर लिया है । वे राजनैतिक चाल के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं । अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सभा की प्रतिष्ठा के अनुरूप नियमों में यथोचित परिवर्तन किये जायें ।

†**श्री उ० न० ढेबर** (राजकोट) : यह स्मरण रखना चाहिये कि राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान के अधीन विहित किया गया है । वे केवल अपने कृत्य का निर्वहन कर रहे थे । उन्हें बाधा पहुंचा कर संविधान की अवहेलना की गयी है । अतः एक समिति नियुक्त की जाये जो इस घटना पर विचार करे ।

श्री यशपालसिंह (कैराना) : श्रीमन् एक ही पार्टी के ज्यादा सदस्यों को बुलाया जा रहा है दूसरी पार्टियों से भी सलाह लेनी चाहिये ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : इस घटना को लेकर विरोधी दलों की निन्दा करना उचित नहीं है । हां, इस घटना की जांच के लिये समिति नियुक्त की जानी चाहिये ।

श्री रंगा (चित्तूर) : इस संबंध में कोई कार्य करने के पूर्व समस्त विरोधी दलों के नेताओं से सलाह लेनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री अ० क० गोपालन (केसरगोड) : इस बात का प्रयत्न किया जाये कि भविष्य में ऐसी घटना न होने पावे ।

†डा० मा० श्री अणे : (नागपुर) : राष्ट्रपति राष्ट्र की प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं अतः इस अशोभनीय घटना की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल जो घटना घटित हुई है, उसके सम्बन्ध में जहां उन सब लोगों को हार्दिक कष्ट हुआ है जो भारत के राष्ट्रपति को भारत की प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक समझते हैं, वहां उन सब व्यक्तियों को भी कष्ट हुआ है जो शीघ्र ही हिन्दी को राज भाषा के पद पर आसीन देखना चाहते हैं । इस घटना से जैसा कि माननीय सेठ गोविन्द दास जी ने कहा हिन्दी को हानि ही पहुंचेगी, कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है । परन्तु मैं चाहता हूं कि हमारी इस भावना को आप माननीय राष्ट्रपति जी तक अवश्य पहुंचा दें कि इसके पीछे कुछ व्यक्ति अथवा एक.आध राजनीतिक दल ही हैं इसको हिन्दी भाषा भाषी राज्यों अथवा हिन्दी भक्तों की भावना न माना जाए ।

श्री पाराशर (शिवपुरी) : अध्यक्ष महोदय, रूल्ज़ के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं

अध्यक्ष महोदय : इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

श्री पाराशर : रूल्ज़ मौजूद हैं, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : रूल्ज़ की कोई जरूरत नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी हुआ था निसंदेह दुखद और निंदनीय है ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय किसी भी सदस्य के लिये इस प्रकार का व्यवहार करना अशोभनीय है ।

श्री त्यागी ने कहा है कि लोक सभा के कार्य संचालन नियम वहां लागू नहीं होते हैं तथापि सदस्यों के आभार संबंधी कुछ ऐसे भी नियम हैं जो कि सभा के भीतर या बाहर सभी जगह लागू होते हैं । मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि ऐसा करना संविधान का अपमान करने के समान है जिसका पालन करने की शपथ सदस्यों ने ली हुई है ।

यह बात निश्चित है कि यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया गया है क्योंकि इसकी सूचना पहिले ही दी जा चुकी थी । तथा समाचारपत्रों में भी यह बात प्रकाशित हो गयी थी ।

दुख का विषय यह है कि राष्ट्रपति के रोकने पर भी उन्हें बाधा पहुंचायी गयी । उन्हें मुझ से कार्यवाही करने को कहना पड़ा तथापि मेरे कुछ कहने के पूर्व सदस्य सदन के बाहर चले गये ।

अतः मैं सभा की सहमति से एक समिति नियुक्त करता हूं जो इस घटना पर विचार करेगी । सदस्यों के नामों की घोषणा बाद में कर दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†प्रधान मन्त्री तथा सभा के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि आप राष्ट्रपति को इस बात से अवगत कर दें कि सभा उक्त सदस्य के अभद्र व्यवहार पर खेद प्रगट करती है तथा उन्हें यह भी बता देवें कि इस संबंध में समिति की नियुक्ति की जा रही है ।

श्री पाराशर (शिवपुरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि रूल्ज़ की कोई जरूरत नहीं है । रूल्ज़ आफ प्रोसीजर के पेज १७५ पर यह प्रोवाइड किया गया है कि हमारे रूल्ज़ जो हैं, वे ज्वायंट सेशन के लिए भी एप्लाई करते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये डिलीट कर दिये गये हैं, रद्द कर दिये गये हैं कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि रूल्ज़ नहीं हैं । जब कि प्रोसीजर में ये मौजूद हैं, तो फिर . . .

अध्यक्ष महोदय : कमेटी यह सब कुछ देखेगी ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया

†सचिव : मैं १८ फरवरी, १९६२ को एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

संसद के सदस्यगण,

हमारे गण राज्य की तीसरी संसद् के नये इजलास का कार्यभार उठाने के लिये मैं आप सब का स्वागत करता हूं ।

२. हमारे गणराज्य की स्थापना के समय से ही हमारी संसद को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा और भारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी हैं । संसद की रहनुमाई में हमने अपने संविधान में बताये हुये उन मक़सदों को पूरा करने का यत्न किया है, जो इस प्रकार है :—

अपने सभी नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना ; विचार, इज़हार, विश्वास निष्ठा और पूजा की आज़ादी; दर्जे की बराबरी, और अवसर की समानता और सब में भाईचारे की भावना बढ़ाना और व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करना । हम ने अपनी सारी शक्ति ऐसे समाज की स्थापना में लगाई है जिस में ये सारे मक़सद कारगर ढंग से हासिल किये जा सकते हैं । अपनी परम्परा के मुताबिक हम ने विश्व शान्ति के लिये परिश्रम किया है और सैनिक गठबंधनों से अलग रहते हुए सभी देशों के साथ मित्रता और सहयोग के सम्बन्ध कायम करने का यत्न किया है । हम यह सोचने का साहस करते हैं कि इस बारे में हम संसार की थोड़ी बहुत सेवा कर सके हैं ।

३. अपने गणराज्य के निर्माण के बाद शीघ्र ही हम ने अपनी लम्बी यात्रा शुरू की, जिससे कि हम लोकतंत्रीय और समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का अपना मक़सद हासिल कर सके और इस के लिये हमने योजना बना कर काम किया । दो पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में हैं । इस अर्से में हम ने अपनी अर्थ व्यवस्था के बहुत से क्षेत्रों में काफ़ी तरक्क़ी की है, गो हमें इस तरक्क़ी से हमेशा संतोष नहीं हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

४. खेतीबाड़ी हमारी अर्थव्यवस्था का सब से अहम पहलू है। इस का बहुत विकास हुआ है और खेती बाड़ी की पैदावार में काफ़ी वृद्धि हुई है। बड़े और छोटे दोनों तरह के उद्योगों में और ग्राम उद्योगों में भी काफ़ी तरक्की हुई है और धीरे धीरे हमारी अर्थ व्यवस्था का औद्योगिक आधार स्थापित होता जा रहा है। देश के लोगों की सेहत में सुधार हुआ है, और १९४०–५० के दौरान आम लोगों की जो औसत आयु ३२ वर्ष हुआ करती थी वह ४७ वर्ष तक पहुंच गई है और उस में वृद्धि हो रही है। मलेरिया ख़तम करने के कार्यक्रम के बहुत अच्छे नतीजे निकले हैं अगरचे शिक्षा का स्तर ऊंचा करने और उस के स्वरूप को सुधारने की दिशा में बहुत कुछ करना बाक़ी है तो भी इस का तेज़ी से विस्तार हुआ है। मार्च, १९६२ के अन्त तक हमारे स्कूलों और कालेजों में पांच करोड़ से ऊपर लड़के और लड़कियां शिक्षा पा रही थीं। वैज्ञानक और तकनीकी शिक्षा पर ख़ास तौर से ज़ोर दिया गया है और अब बड़ी संख्या में तकनीकी शिक्षा देने वाली संस्थाएं काम कर रही हैं।

५. हालांकि हम अपने देश की अंदरूनी तरक्की करने में लगे रहे फिर भी हम ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उद्देश्यपूर्ण दिलचस्पी ली और हम संसार की शान्ति की अहमीयत पर हमेशा ज़ोर देते रहे। कुछ मौक़ों पर तो हमारे हिस्सा लेने से बड़ा फ़र्क पड़ा और उस के कारण शान्ति के काम को बढ़ावा मिला। हमें आशा थी कि न केवल संसार में शान्ति सुनिश्चित होती जायेगी बल्कि हम भी अपने पड़ोसियों के साथ अमन से रह सकेंगे, और अगर कोई मसले उठ खड़े होंगे तो वे शान्तिपूर्ण तरीक़ों से हल कर लिये जायेंगे। हम ने पाकिस्तान के साथ अपने कुछ अहम मसले तो सुलझा लिये हैं लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे कुछ ऐसे मसले हैं जिन्हें सुलझाना बाक़ी है। हम उन्हें भी शान्ति से हल करना चाहते हैं ताकि भारत और पाकिस्तान अपने समान इतिहास, संस्कृति और परम्परा के मुताबिक़ आपस में दोस्ती और सहयोग की भावना वाले पड़ोसियों की तरह रह सकें।

६. कुछ वर्ष हुए चीन ने लद्दाख में चोरी छिपे हमला शुरू कर दिया जिसके कारण बाद में दोनों देशों के बीच कुछ घटनाएं हुईं। इस मामले पर संसद में अक्सर बहस हुई है। हमें आशा थी कि हम इस प्रश्न को भी शान्तिपूर्ण तरीक़ों से सुलझाने में सफल हो जायेंगे। लेकिन पिछले आठ सितम्बर को नेफ़ा में सीमा के पार एक नया हमला शुरू हुआ और टोह लगाने वाले कुछ हमलों के बाद चीन ने बीस अक्तूबर को भारत-चीन सीमा पर नेफ़ा और लद्दाख़ दोनों इलाक़ों में ज़बरदस्त हमला कर दिया। नवम्बर के मध्य में एक और ज़बरदस्त हमला हुआ और हमारे सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इस के बाद चीन की सरकार ने लड़ाईबन्दी करने और अपनी सेनाएं हटा लेने का इकतरफ़ा आदेश दे दिया।

७. हमारे इलाके पर इन बड़े हमलों का और लगातार ज़ोर ज़बरदस्ती का हमारी जनता पर बड़ा असर पड़ा और इस का नतीजा यह हुआ कि देश भर में तुरन्त एकता की लहर दौड़ गई। राष्ट्र की अखण्डता और स्वतंत्रता के ख़तरे की इस घड़ी में छोटे मोटे सभी अन्दरूनी भेदभाव दब गये और रुक गये। नवम्बर के महीने में हमारी संसद् ने राष्ट्र का इस मामले में नेतृत्व किया और समूचे भारत में हमारी जनता ने इस नेतृत्व का दिल से अनुसरण किया।

८. भारत की अखण्डता पर किसी के भी हमले से हमें दुख होता, लेकिन एक ऐसे देश का आक्रमण, जिस के साथ हम ने दोस्ती रखने की कोशिश की और जिस के पक्ष का समर्थन

हम ने अन्तर्राष्ट्रीय कौंसिलों में किया, हमारे साथ बड़ा भारी धोखा था और इस से हमारे लोगों को बहुत धक्का पहुंचा। जाहिर है, ऐसी परिस्थितियों में हमारे देश का पहला कर्तव्य यह था कि वह इस हमले का मजबूती से मुक़ाबला करे और उसके लिये अपने आप को तैयार करे।

९. आजकल कोई लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों के अनुभव से हम ख़बरदार और मजबूत हो गये हैं और हम ने यह पक्का इरादा किया है कि हम इस संकट से अपना बचाव करेंगे और अपनी रक्षा व्यवस्था तथा आर्थिक ढांचे को पूरी कोशिश से मजबूत बनायेंगे। हमारी सरकार इस ज़रूरी और अहम काम में लगी हुई है।

१०. चीनी हमले के बाद जल्दी ही हमारी सरकार ने संसार के देशों से हमदर्दी और हिमायत की अपील की। हम उन बहुत से देशों के आभारी हैं जिन्होंने हमारी हिमायत की और हमारे साथ हमदर्दी जाहिर की। इन में से कई देशों ने तो वास्तविक तौर पर हमारी मदद की है और हम उनके प्रति आभारी हैं। ख़ास तौर पर मैं संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटिड किंगडम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस संकट में बहुत तेजी से सहायता दी।

११. श्री लंका तथा गुटबंदी से अलग पांच अन्य राष्ट्रों की सरकारों ने जो प्रस्ताव रखे थे, उन पर संसद् के पिछले इजलास में पूरी तरह बहस हुई। भारत और चीन के बीच जो बुनियादी झगड़ा है, उसके गुण दोषों का तो इन प्रस्तावों में कोई ज़िक्र नहीं किया गया है, लेकिन उन में ऐसा वातावरण तैयार करने के तरीक़े का सुझाव ज़रूर है, जिस से इन बुनियादी सवालों पर बातचीत हो सके। इन प्रस्तावों पर अच्छी तरह विचार करने और संसद् की राय जान लेने के बाद हमारी सरकार ने, कोलम्बो राष्ट्रों के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखकर, इन के बारे में अपनी रजामंदी बिना किसी शर्त के भेज दी। चीन सरकार ने इन प्रस्तावों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है और हम अभी यह नहीं कह सकते कि आगे चल कर क्या होने वाला है। क्योंकि हमारा देश शान्तिपूर्ण तरीक़ों का क़ायल है, वह झगड़ों को हमेशा ही शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करता रहेगा, बशर्ते कि ऐसा करने से हमारी इज्ज़त और आज़ादी को आंच न आये। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सैनिक शक्ति के बल पर न कोई हम से अपनी बात मनवा सकता है और न हम मानेंगे ही।

१२. हमारे सामने आज चीन के हमले की समस्या सब से बड़ी है और इस को सामने रख कर ही हमें बाक़ी सब बातों पर विचार करना है। किसी भी देश की आज़ादी और इज्ज़त सबसे बड़ी चीज है और अगर कोई देश इन्हें नहीं बचा सकता तो दूसरे मामलों की अहमीयत नहीं रह जाती। स तरह राष्ट्र के सभी काम इसी बुनियादी मसले पर केन्द्रित हैं। एक राष्ट्रीय रक्षा परिषद् बना ली गई है और एक राष्ट्रीय रक्षा कोष खोल दिया गया है। हमारे लोगों ने इस में खुले दिल से धन दिया है। विभिन्न राज्यों में बहुत सी नागरिक परिषदें बना दी गई हैं और उनके काम में तालमेल रखने के लिये एक केन्द्रीय नागरिक परिषद् भी बना दी गई है।

१३. हमारी हथियारबंद सेनाओं का विस्तार करने और आर्डनेंस फैक्टरियों तथा रक्षा के दूसरे कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये बहुत से क़दम उठाये गये हैं। इस दिशा में असैनिक कारख़ानों से भी सहायता ली जा रही है। इन फैक्टरियों में काम करने वाले सभी लोगों का अपनी सरकार की तरफ़ से धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने राष्ट्र के काम में तन-मन से योग

दिया है। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो समूचे देशमें खेतों, कारख़ानों और सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करते हैं। मातृभूमि पर संकट की घड़ी में इस महान देश के लोगों ने बड़ी लगन से जो योग दिया है उसे देख कर हमारे हौसले बहुत बढ़े हैं।

१४. एमरजेंसी का एलान हो जाने के बाद जल्दी ही मजदूरों और प्रबन्धकों की केन्द्रीय संस्थाओं ने उद्योगों में शान्ति बनाये रखने के लिए एक राय हो कर प्रस्ताव पास कर दिया जिस का मक़सद यह था कि कारख़ानों में झगड़े बिल्कुल ख़तम कर दिये जायें, उत्पादन को बढ़ाया जाये और जहां तक हो सके लागत में कमी की जाये। इसका नतीजा यह हुआ है कि केन्द्र में, राज्यों में और बहुत से कारख़ानों में एमरजेंसी उत्पादन कमेटियां बना दी गई हैं।

१५. चीनी हमले से हमारे ऊपर जो भारी बोझ पड़े और उसका मुक़ाबला करने के लिए जो कदम उठाये गए, उन सब को ध्यान में रखते हुए यह सवाल उठा कि कोई बड़ी तबदीली किए बग़ैर हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना किस तरह पूरी की जा सकती है। इस मामले पर पूरी तरह से ग़ौर करने के बाद हमारी सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्र को मज़बूत बनाने के लिए इस योजना के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरा करना ही होगा और इसलिए रक्षा की दृष्टि से भी इस पर अमल करना ज़रूरी है। आर्थिक विकास और उद्योगों की तरक्क़ी ही हमारी रक्षा की तैयारी का आधार है। आर्थिक विकास के रोकने या इस की प्रगति धीमी करने का नतीजा यह होगा कि देश कमज़ोर हो जायेगा। इस लिए यह फ़ैसला किया गया है कि हालात के मुताबिक़ इधरउधर कुछ फेरबदल करके तीसरी पंचवर्षीय योजना पर अमल जारी रखा जाये, और हमारे उद्योगों का इस तरह पुनर्गठन किया जाये कि रक्षा की ज़रूरतों को पहला स्थान दिया जा सके। इस तरह खेतीबाड़ी, उद्योग, परिवहन, संचार, बिजली, तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में हमें भरसक कोशिश करते रहना है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिये यह बहुत ज़रूरी है कि खेती-बाड़ी का आधार मज़बूत हो। रक्षा के लिए उद्योग ज़रूरी है और इसी तरह बिजली, परिवहन और तकनीकी शिक्षा को बढ़ाना भी।

१६. खेती में अधिक पैदावार के कार्यक्रम से पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चावल की प्रति एकड़ पैदावार में पन्द्रह से इक्कीस प्रतिशत, गेहूं की आठ से पन्द्रह प्रतिशत और जौ की ग्यारह से पच्चीस प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादनों में बराबर वृद्धि हुई है और १९६२ के पहले नौ महीनों में कोई साढ़े सात प्रतिशत अधिक उत्पादन होने का अनुमान है। लोहे और इस्पात का उत्पादन बराबर बढ़ रहा है। पब्लिक सैक्टर में इस्पात के कारखानों का विस्तार करने की दिशा में और दुर्गापुर में अलाय स्टील कारखाना लगाने की दिशा में कदम उठाये गये हैं। खनिज और तेल साधनोंके विकास कार्य में और तरक्की हुई है। कोयले का उत्पादन बराबर बढ़ रहा है और यह आशा की जाती है कि हम ने इस वर्ष में छः करोड़ १० लाख (मेट्रिक) टन कोयला निकालने का जो लक्ष्य रखा है, वह पूरा हो जायेगा।

१७. दिसम्बर, १९६२ में भारतीय व्यापारी जहाजी बेड़े का टनभार दस लाख ग्रास रजिस्टर्ड टन तक पहुंच गया। १९६६ तक साढ़े पांच लाख ग्रास रजिस्टर्ड टन का अतिरिक्त भार प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, वह योजना काल समाप्त होने से तीन वर्ष पहले ही पूरा हो जायेगा, ऐसी आशा है। दो लाख टन तो पहले प्राप्त कर लिया गया है और दो लाख टन से ज्यादा और लेने के पक्के आर्डर दे दिये गए हैं।

१८. खर्च में कमी करना, चीजों को जाया न होने देना, अपने सीमित साधनों को बचाए रखना और संभाल कर उन को इस्तेमाल करना—हमेशा ही जरूरी होता है, लेकिन आज इस की खास

अहमियता है। लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिएं और कीमतों को बढ़ने से रोकना चाहिये। हमारे देशवासियों में एकता और डिसिप्लन की इतनी अच्छी भावना जागी कि एमरजेंसी के एलान होते ही अर्थ व्यवस्था को स्थिर रखने की जरूरत सभी ने फौरन मान ली। थोक भावों का मौजूदा स्तर उस से ऊंचा नहीं है, जो तीसरी योजना के शुरू में था। भारत में चोरी-छिपे सोना लाने से हमारी विदेशी मुद्रा के साधनों पर जो भार पड़ता है, उसे रोकने के लिए सोने पर नियंत्रण रखने के मकसद से कुछ नियम बनाये गये हैं।

१९. एटमी शक्ति विकसित करने के हमारे कार्यक्रम में तेजी से तरक्की हुई है। बिहार में यूरेनियम की एक खान खोदी जा रही है तथा एक यूरेनियम मिल बनाई जा रही है। पहला एटमी बिजली घर तारापुर में; दूसरा राजस्थान में, राणा प्रताप सागर में, और तीसरा मद्रास राज्य में पूर्वी तट पर कलपक्कम में बनाया जायेगा। और जांच करने पर यह मालूम हुआ है कि तारापुर में, बिजली-घर में बिजली पैदा करने पर जो लागत आयेगी, वह उस से कम होगी जो इसी जगह इतने ही बड़े किन्तु कोयले से बिजली पैदा करने वाले बिजलीघर में आयेगी। ऐटमी शक्ति से चलाये जाने वाले इन बिजलीघरों से हमारी रेल और परिवहन व्यवस्था का भार भी कम हो जायेगा।

२०. अब लगभग सारे देश में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं और पंचायती राज भी नौ राज्यों में लागू हो गया है। एमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय रक्षा को दी गई चुनौती का सामना करने के लिए ग्रामीण भारत को एक साथ काममें जुटाने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रत्येक पंचायत में ग्राम स्वयंसेवक दल बनाये जायेंगे और इन के तीन काम होंगे—उत्पादन, सामूहिक शिक्षा और ग्राम रक्षा। इस योजना का एक जरूरी अंग है एक रक्षा श्रम बैंक, जिस के लिये महीने में हर बालिग कम से कम एक दिन मुफ्त काम करेगा। देहाती इलाकों में सहकारी आन्दोलन ने काफी तरक्की की है। बुनियादी कृषि करजा देने वाली सोसायटियों की सदस्य संख्या इस समय दो करोड़ है और आशा है कि १९६३ में वह दो करोड़ चालीस लाख और अगले वर्ष तक दो करोड़ अस्सी लाख हो जायेगी। अब तक एक हजार से ज्यादा सहकारी खेती समितियां बनाई जा चुकी हैं।

२१. आप को यह सूचना देते हुए मुझे खुशी होती है कि फ्रांस सरकार ने पूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के बारे में विसर्जन संधि को पक्का कर दिया है। इस कार्यवाई से इन बस्तियों को कानूनी रूप से भारत को सौंप देने का काम पूरा हो गया है।

२२. नैपाल के साथ हमारे सम्बन्ध बदस्तूर मित्रतापूर्ण हैं। भारत ने आर्थिक और तकनीकी—इन दोनों ही क्षेत्रों में नेपाल को जो सहायता दी है उस के संतोषजनक नतीजे निकले हैं। भारत ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नेपाल को अठारह करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का वायदा किया है। यह सहायता कोसी और गंडक के प्रोजैक्टों के इलावा है जिन से भारत और नैपाल दोनों को ही लाभ होगा।

२३. भारत ने भूटान और सिक्किम को भी, उनके आर्थिक विकास के लिए काफी मदद दी है। भारत ने भूटान को कोलम्बो योजना का मेम्बर बनाने का प्रस्ताव किया और भूटान ने नवम्बर १९६२ में मैलबोर्न में कोलम्बो योजना सलाहकार समिति में भाग लिया।

२४. भारत सरकार ने अल्जीरिया, बुरुण्डी, जमेका, रुआण्डा, ट्रिनिडाड, टोबागो और उगाण्डा की आजादी का स्वागत किया है और वे संयुक्त राष्ट्र के मेम्बर बना लिये गए हैं। हम इन नए आजाद देशों की सफलता की कामना करते हैं। जल्दी ही न्यासालैंड में भी उसकी अपनी सरकार बन जायेगी।

२५. कांगों में संयुक्त राष्ट्र के अधीन काम करते हुए हमारे सैनिकों ने वहां के कठिन मसलों को सुलझाने में बड़ी मदद दी है। हमारे सैनिक तब तक वहां रहेंगे जब तक संयुक्त राष्ट्र ऐसी हालत में नहीं हो जाती कि अपने शांतिपूर्ण प्रयत्नों में बिना किसी प्रकार की बाधा के उन्हें वहां से लौटने की अनुमति दे सके।

२६. पिछले वर्ष बहुत से देशों के राज्याध्यक्ष तथा प्रधान मंत्री और दूसरे नेता हमारे यहां सद्भाव यात्रा पर आये और हम ने उन का स्वागत किया। इन अतिथियों में थे नेपाल के महाराजाधिराज और महारानी; मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज मातिओस; रूमानिया लोक गणराज्य के राष्ट्रपति, श्री देज; साइप्रस के राष्ट्रपति, मकारिओस; जर्मनसंघीय गणराज्य के राष्ट्रपति, डा० हेनरिख लुब्के; कम्बोदिया के राजकुलमान्य राजकुमार नरोदम सिंहानुक; यूनान के महामहिम महाराज और महारानी; सिंगापुर के प्रधान मंत्री, श्री ली क्वान इयू; मलय के प्रधान मंत्री, तंकु अब्दुल रहमान; युगोस्लाविया के उपराष्ट्रपति, श्री ऐडवर्ड कोर्देल्ज और लबनान के प्रधान मंत्री, डाक्टर रशीद करामे।

२७. इस समय जब कि हमारी सारी कोशिशें अहम मसलों का सामना करने पर और रक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए अपनी जनशक्ति और साधनों को जुटाने पर लगी हुई है, हम अन्तर्राष्ट्रीय हालात में जो थोड़ा सा सुधार हुआ है, उसका स्वागत करते हैं। क्यूबा एक ऐसी मिसाल रहा है जिस के कारण समूचा संसार एटमी जंग के किनारे पर जा खड़ा हुआ था, लेकिन दो बड़े राष्ट्रों के सद्भाव और संयम के कारण यह जंग टल गई। तनाव खत्म होने के कुछ आसार दिखाई दिए हैं और एटमी हथियारों पर रोक लगाने के बारे में समझौता हो जाने की भी उम्मीद हो गई है।

२८. भारत सरकार के १९६३-६४ के माली साल की आमदनी और खर्च के अंदाजे का ब्यौरा आप के सामने रखा जाएगा।

२९. आप के सामने विचार के लिए जो बिल रखे जायेंगे उन में से ये भी हैं:

१. संघीय प्रदेश पांडिचेरी, कराइकल, माहे और यनाम के लिए संसद् में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने का एक बिल।
२. संघीय प्रदेश बिल।
३. गंदी बस्ती (सुधार और सफाई) संशोधन बिल।
४. भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) बिल।
५. उद्योग विवाद (संशोधन) बिल।
६. फैक्ट्री (संशोधन) बिल।
७. बिजली (सप्लाई) संशोधन बिल।
८. दिल्ली विकास (संशोधन) बिल।

३०. संसद् सदस्यगण ! देश के इतिहास की एक बहुत नाजुक घड़ी में हम यहां इकट्ठे हुए हैं। ऐसी हालत में, जब कि हम ने लोकतन्त्रीय समाजवादी समाज का निर्माण करने का वचन लिया है, जिस में शान्तिपूर्ण तरीकों और रजामंदी से तरक्की की जाती है, हमें विदेशी हमले के खतरे का भी सामना करना है। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि यह संसद् जो हमारी नीति और राष्ट्र की रहनुमाई के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, इन बड़े कामों को हौंसले और समझदारी से तथा बर्दाश्त और सहयोग की भावना से पूरा करेगी। मैं चाहता हूं कि आप की कोशिशें सफल हों, जिस से हमारी जनता और दुनिया का भला हो। उठो, जागो, जो अवसर आप को प्राप्त हैं उनको समझो और जबतक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक मत रुको।

"उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत"।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : मैं गत अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और २१ जनवरी, १९६३ को सभा में दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

मैं गत अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और २१ जनवरी, १९६३ को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों की राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित दो प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं :

(१) हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक।

(२) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधक) विधेयक।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विनियोग लेखे विस्तृत विनियोग लेखे तथा रेलवे

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन रेलवे, १९६३।

(दो) १९६१-६२ के लिये विनियोग लेखे, रेलवे, भाग १—समीक्षा।

(तीन) १९६१-६२ के लिये विनियोग लेखे, रेलवे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे।

(चार) खंड लेखे (ऋण लेखे के पूंजी विवरणों सहित), संतुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे, रेलवे, १९६१–६२

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ७७७/६३ से ७८०/६३ तक]

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रशुल्क आयोग अधिनियम के अधीन अधिसूचना तथा हिन्दुस्तान इन्सेक्टी-साइड्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे परीक्षित लेखे सहित सरकार द्वारा समवाय के कार्य की समीक्षा

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत सोडा भस्म के मूल्यों को पुनः निश्चित करने के बारे में दिनांक १४ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या सी० एच० (आई)६(९)—६१ ।

(दो) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्ज लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ७८२/६३]

केन्द्रीय भांडागार निगम के परीक्षित लेखे तथा वार्षिक प्रतिवेदन

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० मु० थामस)** : मैं कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४२ की उपधारा (९) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागार निगम की वर्ष १९६१–६२ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ७८३/६३]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८६ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (पहला संशोधन) योजना, १९६३ ।

(दो) दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ७८४/६३]

विधि आयोग का तेईसवां प्रतिवेदन

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं (५) विदेशी विवाह विधि के बारे में विधि आयोग के तेईसवां प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६८५/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत में कुछ बड़े पत्तनों के लिये पत्तन प्राधिकारियों के गठन और ऐसे प्राधिकारियों को ऐसे पत्तनों का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्ध सौंपने और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत समय को अगले सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत में कुछ बड़े पत्तनों के लिये पत्तन प्राधिकारियों के गठन और ऐसे प्राधिकारियों को ऐसे पतनों का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्ध सौंपने और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत समय को अगले सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संविधान (पन्द्रहवां) संशोधन विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले बिल सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिए नियत समय को २९ मार्च, १९६३ तक बढ़ा दिया जाये।"

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मेरे विचार से संयुक्त समिति को इस विषय में शीघ्रता करनी चाहिये जिस से कि उस पर सभा में विचार किया जा सके तथा बाद में उसे विभिन्न राज्य विधान सभाओं को भी भेजा जा सके।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मेरा सुझाव इस के विपरीत है, वह यह है कि समिति को इस विधेयक पर अधिक से अधिक समय देना चाहिये।

लोक सभा के चालू सत्र का जो कार्यक्रम हमें दिया गया है उसके अनुसार भी हमें १९ अप्रैल, १९६३ के पूर्व विधेयक पर विचार करने का समय नहीं मिलेगा। अतः सभापति महोदय ने नियत समय को बढ़ाने के लिये जो समय की मांग की है वह उचित ही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले बिल सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिए नियत समय को २९ मार्च, १९६३ तक बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक

†**श्री कृष्ण मूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले बिल सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिए नियत समय को २६ मार्च, १६६३ तक बढ़ा दिया जाये ।"

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : सभा से समय बढ़ाने की अनुमति मांगते समय यह कारण भी बताया जाये कि विहित समय के अन्तर्गत कार्य क्यों समाप्त नहीं हो सका । ऐसा करने से सभा के सदस्यों की ओर से आपत्ति करने के कम अवसर आयेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : हमारी सामान्य प्रथा यह है कि जब भी सदस्य विलम्ब का कारण जानना चाहते हैं वह उन्हें बता दिये जाते हैं । यदि आप कारण जानना चाहते हैं तो मैं प्रस्तावक महोदय से उन्हें बताने को कह सकता हूं ।

†**श्री कृष्ण मूर्ति राव** : विधेयकों पर साक्ष्य ले लिये गये हैं । केवल खंडवार विचार करना ही बाकी है। आजकल हम सत्र के समय के बाद भी बैठ रहे हैं तथापि हमारा विचार है कि विधेयकों पर २० अप्रैल के पूर्व विचार नहीं किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन काने वाले बिल सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिए नियत समय को २६ मार्च, १६६३ तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, १६ फरवरी, १६६३/३० माघ, १८८४ (शक) के बारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिक

सोमवार, १८ फरवरी, १९६३

२९ माघ, १८८४ (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१
अध्यक्ष महोदय ने श्री मूलचन्द दुबे, जो वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे और श्री बी० एन० दातार, जो वर्तमान लोक-सभा के सदस्य और गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, के निधन का उल्लेख किया ।	
इस के पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे ।	
राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय बाधा डालना तथा सदन से बाहर चले जाना	१–३
लोक-सभा ने आज सुबह एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के अभद्र व्यवहार पर राष्ट्रपति से अत्यधिक खेद व्यक्त करने का अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया ।	
सभा इस बात से सहमत हुई कि इस मामले की जांच करने और सभा को रिपोर्ट देने के लिये इस सभा की एक समिति नियुक्त की जाये ।	
राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया	४–९
सचिव ने १८ फरवरी, १९६३ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखी ।	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१०
(एक) सचिव ने गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखी ।	
(दो) सचिव ने गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और २१ जनवरी, १९६३ को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों की, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित दो प्रतियां भी पटल पर रखीं :—	
(१) हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक, १९६३	
(२) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९६३	

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १०–११

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९६३

(दो) १९६१-६२ के लिये विनियोग लेखे, रेलवे, भाग १—समीक्षा ।

(तीन) १९६१-६२ के लिये विनियोग लेखे, रेलवे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे ।

(चार) खंड लेखे (ऋण लेखे के पूंजी विवरणों सहित), संतुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे, रेलवे, १९६१-६२

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत सोडा भस्म के मूल्यों को पुनः निश्चित करने के बारे में दिनांक १४ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या सी० एच० (आई)–६(६)/६१ ।

(दो) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्ज़ लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६१–६२ की वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(३) कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४२ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत केन्द्रीय भांडागार निगम की वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे सहित ।

(४) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८६ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (पहला संशोधन) योजना, १९६३ ।

(दो) दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, १९६३ ।

(५) विदेशी विवाह विधि के बारे में विधि आयोग के तेईसवें प्रतिवेदन की एक प्रति ।

विषय	पृष्ठ
प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना	१२
बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत समय को अगले सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया ।	
संयुक्त समितियों का प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना	१२–१३
(१) संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक १९६२ सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिए नियत समय को २९ मार्च, १९६३ तक बढ़ा दिया गया ।	
(२) संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिए नियत समय को २९ मार्च, १९६३ तक बढ़ा दिया गया ।	
मंगलवार, १९ फरवरी, १९६३/३० माघ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि	
वर्ष १९६३–६४ के लिये बजट (रेलवे) का उपस्थापित किया जाना तथा दिल्ली किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक और कृषि पुर्नवित्त निगम विधेयक पर विचार और उनका पारित किया जाना	

GIPND—LS III—2687 (Ai) LSD—16-3-63—140.